ONE RUPEE

R-2966-III/2002

श्री एन.आर. भावे ... 19.12.02 ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र० क्र०- /2002-निगरानी

§1§ श्रीमती कस्तुरीबाई विधवा स्व. रणछोडलालजी
आयु-80-वर्ष निवासी जूना शहर बड़नगर

§2§ श्रीमती रेशमबाई पुत्री रणछोडलालजी पति रामचन्द्रजी आयु-50-वर्ष
निवासी बामनदा कला तह. बदनावर जिला धार

§3§ छोटूबाई पति गोविन्दजी आयु-55-वर्ष निवासी
मतलबपुरा धार

§4§ देवचन्द पिता रणछोडलालजी आयु-50-वर्ष
निवासी मंगलनाथ पथ बड़नगर जिला उज्जैन

§5§ रूकमाबाई पति शंकरलालजी आयु-48-वर्ष
ग्राम खरसोदकला तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

§6§ भेरूलाल आत्मज रणछोडलालजी आयु-46-वर्ष नि.
मंगलनाथ पथ बड़नगर जिला उज्जैन

§7§ दयाराम आत्मज रणछोडलालजी आयु-44-वर्ष
निवासी बड़नगर जिला उज्जैन म०प्र०

§8§ लुगनाबाई पुत्री रणछोडलालजी आयु-40-वर्ष नि.
मंगलनाथ पथ बड़नगर जिला उज्जैन म०प्र०

§9§ रमेशचन्द्र आत्मज रणछोडलालजी आयु-38-वर्ष
निवासी मंगलनाथ पथ बड़नगर जिला उज्जैन म०प्र०

§10§ कैलाशचन्द्र आत्मज रणछोडलालजी आयु-36-वर्ष
मंगलनाथ पथ बड़नगर जिला उज्जैन म०प्र०

§11§ नर्मदाबाई पति जगदीश आयु-34-वर्ष निवासी
ग्राम नौगांवा जिला धार । मध्य प्रदेश ।

§12§ पूनमचन्द पिता लूनाथजी आयु-50-वर्ष निवासी
मंगलनाथ पथ बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

====== प्रार्थीगण

विरूद्ध

§1§ दत्तात्रय

निरन्तर-2-दो पर

§2§ बसंतराव पुत्रगण नारायण राव

§3§ कुमुदनी

§4§ कुसुम पुत्रीयां नारायणराव

समस्त निवासीगण बी-48-गौतम नगर, भोपाल म0प्र0

§5§ भगवान पिता कुंवरजी निवासी जूना शहर बड़नगर

जिला उज्जैन म0प्र0 .

======== प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50-भू0 रा0 सं0 विरूद्ध आदेश दिनांक 28/10/02-न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र0 क्र0-437/90-91/व्दितीय अपील, रणछोड विरूद्ध दत्तात्रय आदि.

माननीय महो य,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत हैं :

§1§ यह कि, प्रार्थीगण के पिता व पति रणछोडलालजी तथा प्रार्थी पुनमचन्द, रूपचन्द एवं प्रतिप्रार्थी भगवान की ओर से एक व्दितीय अपील प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1-एक लगायत-4-चार के विरूद्ध प्रस्तुत की थी । अपील के विचाराधिन रहते रणछोडलालजी की मृत्यु दिनांक-18/08/02- को तथा रूपचन्द की मृत्यु हो जाने पर रणछोडलालजी के वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिये तथा रूपचन्द के कोई औलाद नही होने से उसका नाम कम करने के लिये अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये । उक्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर रणछोडलालजी के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा रूपचन्द का प्रार्थना पत्र अवधि बाह्य होने के कारण निरस्त किया गया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं । :

§1§ यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

§2§ यह कि, अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील के सभी अपीलार्थी आपस में भाई भाई हैं उनके हित समान हैं और इसी आधा

निरन्तर-3-तीन पर ---

(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(119)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2960-वीन/2002

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 13-02-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेन्द्र चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	